एकल–पीठ
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थितः–

(1) श्री अजीतसिंह राठौड, अभिभाषक प्रार्थी।
(2) श्री जे0एस0 राठौड़, अभिभाषक अप्रार्थी सं0 14

निर्णय **दिनांकः 20अगस्त, 2019**

यह निगरानी अन्तर्गत धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, परबतसर के वाद संख्या 80/94 बउनवानी महेन्द्रसिंह बनाम दातारसिंह में पारित निर्णय दिनांक 08–10–2003 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/प्रार्थी ने विचारण न्यायालय के समक्ष राजस्व वाद इस्तकरारहक, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध प्रतिवादी/अप्रार्थीगण के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी महेन्द्रसिंह सक्षम सिविल न्यायालय द्धारा श्रीमती रसाल कंवर बेवा श्री सवाईसिंह का गोद पुत्र घोषित किया जा चुका है और सक्षम सिविल न्यायालय द्धारा इस अमर की डिक्री दिनांक 30–5–1994 को जारी की जा चुकी है। अतः प्रार्थी ग्राम बांसेड़ स्थित ख0 नं0 304, 306 ल0 310 कुल किता 6 रकबा 32–13–0 के 1/4 हिस्से का हकदार है जिसे 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित कर प्रार्थी के हिस्से में आयी भूमि पर प्रार्थी के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न ना करने हेतु प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाकर वादग्रस्त भूमि का किस्म, मूल्य व लगान के आधार पर विभाजन किया जावें। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभिभाषक प्रतिवादी को बार–बार जवाब दावे प्रस्तुत करने के अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाब दावा प्रस्तुत नहीं करने पर दि0 14–7–1998 को उसके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। दातारसिंह ने दिनांक 30–7–2001 को आदेश 9 नियम 7 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, अर्थात एकतरफा कार्यवाही के 3 साल बाद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसका जवाब वादी/प्रार्थी ने प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र को निरस्त करने का निवेदन किया। उभयपक्ष की बहस सुनकर विचारण न्यायालय ने दिनांक 8–10–2003 को प्रतिवादी दातारसिंह का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया जिस निर्णय दिनांक 8–10–2003 से

	निगरानी/टी.ए./5782/2003/नागौर महेन्द्रसिंह बनाम बजरंगसिंह व अन्य	तारीख हुक्म

अप्रसन्न होकर यह प्रार्थी ने यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

विद्वान उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

दौराने बहस विद्वान अभिभाषक प्रार्थी/निगरानीकर्ता ने निगरानी मीमों के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि प्रार्थी द्धारा प्रस्तुत वाद के नोटिस दातारसिंह को दि0 18-7-1994 को तामील हो चुके थे तथा उसके अभिभाषक द्धारा वकालतनामा प्रस्तुत किये जाने के बाद भी जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया। दातारसिंह को प्रकरण की पूर्ण जानकारी थी। प्रकरण को देरीना करने के लिए दातारसिंह ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। दातारसिंह का उक्त प्रकरण में कोई हित नहीं था लेकिन परीक्षण न्यायालय ने अपने निहित क्षेत्राधिकार का गलत प्रयोग करते हुए दातारसिंह को गैर कानूनी लाभ पहुंचाने की गर्ज से आदेश अन्तर्गत निगरानी पारित किया था। सिविल न्यायालय के समक्ष दातारसिंह वगैरा द्धारा राजीनामा प्रस्तुत कर प्रार्थी रसाल कंवर बेवा सवाईसिंह का गोद पुत्र होना कथन किया। इसी आधार पर सक्षम सिविल न्यायालय द्धारा दिनांक 30-5-1994 को प्रार्थी के पक्ष में गोद बाबत डिक्री जारी की गई जो प्रतिवादी/अप्रार्थीगण द्धारा आज तक सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है जिससे स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी में 1/4 हिस्से का हकदार प्रार्थी/वादी है। प्रार्थी नाबालिग है जिसके हकों को नष्ट कर प्रार्थी के हिस्से की भूमि को हड़प करने की नियत से उक्त प्रकरण को दातारसिंह देरी कराना चाहता है। अधीनस्थ न्यायालय ने किन आधारों पर इतने वर्षो के बाद प्रार्थना पत्र स्वीकार कर निर्णय में कोई विश्लेषण अंकित नहीं किया गया है, वरन मात्र यह अंकित किया है कि न्यायहित में अवसर दिया जाना उचित है, जो कतई गलत है क्योंकि देरी से प्रदान किया गया निर्णय कोई न्याय नहीं है जबकि प्रस्तुत प्रकरण 1994 से चलने के बाद 10 वर्षो में भी ना तो दातारसिंह द्धारा जवाबदावा प्रस्तुत किया और ना ही एकतरफा कार्यवाही के 3 साल तक उसे निरस्त कराने का प्रयास किया गया। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में एक नाबालिग को उसकी खातेदारी की आराजी से इतने वर्षो तक महरूम रखा गया जो कि किसी भी आधार पर उसके साथ न्याय नहीं कहा जा सकता है। इसलिए विचारण न्यायालय का निर्णय अपास्त किये जाने योग्य होकर निगरानी स्वीकार की जावें। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में 2010 डी0एन0जे0 पेज 721, 2008 डी0एन0जे0 पेज 1084 व 2007

	निगरानी/टी.ए./5782/2003/नागौर महेन्द्रसिंह बनाम बजरंगसिंह व अन्य	तारीख हुक्म

डी0एन0जे0 पेज 305 के दृष्टान्त प्रस्तुत किये।

प्रतिउत्तर में गैर निगराकार सं0 14 /अप्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थी के वाद में आर्थिक हित निहित है। विचारण न्यायालय ने जवाब व साक्ष्य सबूत पेश करने का न्यायहित में अवसर देते हुए प्रार्थना पत्र को सही स्वीकार किया है। विचारण न्यायालय ने विधिसम्मत निर्णय पारित किया है। अतः प्रार्थी की निगरानी खारिज योग्य है एवं विचारण न्यायालय का आदेश विधिसम्मत है जिसमें कोई कानूनी त्रुटि नहीं है।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया और अधीनस्थ न्यायालयं की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अंकित किया है कि प्रतिवादी सं0 9 के विरूद्ध एकतरफा आदेश मन्सुख प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सी0पी0सी0 पर उभयपक्षकारान की बहस सुनी गयी। प्रार्थी वाद को कन्टेस्ट करना चाहते हैं। प्रार्थी के वाद में आर्थिक हित जुड़े हुए हैं। जवाब व साक्ष्य पेश करने का अवसर न्यायहित में दिया जाकर प्रार्थना पत्र को कॉस्ट रू0 300/- पर स्वीकार कर एकतरफा कार्यवाही आदेश दिनांक 14-7-1998 को निरस्त किया जाकर जवाब पेश करने का अवसर प्रदान किया गया है। विचारण न्यायालय द्धारा केवल मात्र प्रार्थना पत्र को कॉस्ट के आधार पर स्वीकार कर एकतरफा कार्यवाही के आदेश को ही निरस्त कर प्रतिवादी सं0 9 को जवाब प्रस्तुत करने का न्यायहित में अवसर दिया है। उक्त प्रश्नगत निर्णय में हम कोई विधिक कानूनी त्रुटि नहीं पाते हैं क्योंकि एकतरफा कार्यवाही को कॉस्ट के आधार पर विचारण न्यायालय ने स्वीकार कर न्यायहित में प्रतिवादी सं0 9 को जवाब प्रस्तुत करने का आदेश पारित किया है। निगरानीकर्ता द्धारा प्रस्तुत कानूनी दृष्टान्त इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं। इसलिए उक्त प्रश्नगत आदेश न्यायसंगत एवं कानून सम्मत होने से निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी/निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज की जाती है। उपखण्ड अधिकारी, परबतसर का निर्णय दिनांक 08-10-2003 बहाल रखा जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)
सदस्य